न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
178 / 2002 / वाद पत्र	20.09.2002	24.05.2017

उनवान

महावीर पिता बालू जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1–2 लादू, धन्ना पिता भैरू कुम्हार निवासी बोरड़ा बावरियान तह0 शाहपुरा
3– लादी बेवा बालू जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तह0 शाहपुरा
4– धन्ना पिता हीरा जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तह0 शाहपुरा
5– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री अनिल व्यास : अधिवक्ता वादी
2. श्री दुर्गालाल राजोरा : अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम बोरड़ा बावरियान तह0 शाहपुरा मे वादी एवं प्रतिवादी नं0 3 लगायत 4 के सामुहिक खाते की आ0न0 589, 596, 606, 609, 611, 938, 943, 944, 934, 939 रकबा क्रमशः 0.03 है0, 0.28 है0, 0.04 है0, 0.28 है0, 0.67 है0, 0.26 है0, 0.66 है0, 0.53 है0, 0.88 है0, 0.46 है0 कुल किता 11 रकबा 4.09 है0। पैरा नं0 एक मे वर्णित ग्राम व प0ह0 मे वादी के कब्जे व खाते की आ0न0 588, 598, 601, 602, 610, 928, 929, 935, 937 कुल किता 9 रकबा 2.70 है स्थित है। वाद की चरण संख्या 1 व 2 मे उल्लेखित आराजी नम्बरों मे से आ0न0 944 रकबा 0.53 है0, 943 रकबा 0.66 है0, 935 रकबा 0.59 है, 937 रकबा 0.48 है0, 938 रकबा 0.26 है0 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सीमालग्न पड़ोसी है जिसमे आ0न0 934, 935, 928 का पूर्वी सीमालग्न व 937, 938 का पश्चिम सीमालग्न पड़ोसी है। वादी के अकेले होने के कारण उसके कब्जे काश्त व खाते की कृषि आराजीयात को जबरन हड़पने व कब्जा करने की नियत से आये दिन विवाद करते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आज के लगभग 20 दिन पूर्व आराजी नं0 937, 938 की पूर्वी सीमा मे जबरन व शक्ति के बल पर घुसकर वादी के द्वारा काश्त की गई उडद की फसल को हांककर उसमे ज्वार की फसल काश्त कर दी। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 के खाते की कृषि भूमि पर उत्तर से दक्षिण लगभग 3 बीघा भूमि पर अपराधिक अतिचार कर लिया जिससे जरिये आज्ञात्मक निषेधाज्ञा हटाया जाकर उक्त फसल को वादी व प्रतिवादी 3 लगायत 4 काटने व प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह स्थायी निषेधज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी 5 भू–धारक होने से पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बनाये गये है। अतः ग्राम बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा मे स्थित वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी संख्या 237, 238 की पूरी सीमा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अपराधिक अतिचार को जरिये आज्ञात्मक निषेधाज्ञा से हटवाया जाकर कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 को दिलवाया जावे तथा जो फसल काश्त की गई है उसे पुलिस इमदाद के वादी को ले जाने का आदेश प्रदान करावे। वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि भविष्य मे वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 के कब्जे काश्त व खाते की कृषि आराजीयात 944, 935, 928 की पश्चिमी सीमा मे व 937, 938 की दक्षिणी व पश्चिमी सीमा मे प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास न तो स्वयं करे व न अपने नोकरो, परिजनों, ऐजेन्टो से करावे।

प्रकरण पजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.09.2002 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री दुर्गालाल राजोरा ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं0 3, 4 व 5 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाबदावा प्रतिवादीगण 1 व 2 के नियत किया गया। दिनांक 11.12.2002 को प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जिसमे बताया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण उत्तरदाता का कब्जा व काश्त अपने पूर्वजों के समय से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। प्रतिवादीगणों का कब्जा बहैसियत मालिक के पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। वादी का वाद पत्र अवधिपार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का वाद हेतु उत्पन्न नही हुआ है। प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालपाना होने से कब्जे लेने का दावा अवधिपार होकर निरस्त योग्य है। वादी ने सही तथ्य छिपाकर प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से यह वादपत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 17.03.2004 को प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया ग्राम बोरड़ा आ0न0 937, 938 वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 के संयुक्त कब्जे व खाते की होकर पूर्वी सीमा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अपराधिक अतिचार को जरिये आज्ञात्मक निषेधाज्ञा से हटाया जाकर कब्जा प्राप्त करने, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? — जिम्मे वादी
2. आया प्रतिवादीगण का कब्जा वादी के मुकाबले कब्जा मुखालपाना होने से कब्जे लेने का दावा अवधिपार होकर निरस्त योब्य है ?
— जिम्मे प्रतिवादी
3. आया वादी ने सही तथ्य छिपाकर प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जो निररत योग्य है ?
— जिम्मे प्रतिवादी
4. दादरसी।

प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 05.05.2005 को वादी के बयान लिये गये जो पी0डब्ल्यू0– 1 है। जिरह अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा की गई। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.08.2007 को प्रतिवादी नं0 1 लादु

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

व 2 धन्ना के शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किये गये जो डी0डब्ल्यू0 – 1 व डी0 डब्ल्यू – 2 होकर नकल अभिभाषक वादी को दी गई। दिनांक 29.10.2014 को प्रतिवादी नं0 2 धन्ना से जिरह की गई। जिरह मे बताया कि महावीर, लादू, धन्ना के करीब 15 बीघा जमीन है जिसे वो ही बोते है। दिनांक 19.11.2014 को प्रतिवादी की ओर से रामलाल पिता मांगीलाल कुम्हार की ओर से साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 25.02.2015 को डी0डब्ल्यू0 – 1 व डी0डब्ल्यू0 – 3 से जिरह बन्द की जाकर प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 15.05.2017 को बहस अभिभाषक उभयपक्ष समायत की गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने बताया कि विवादित आराजी ग्राम बोरड़ा मे स्थित होकर खसरा नं0 937 रकबा 0.48 है0, 938 रकबा 0.26 है0 है। आ0न0 937 उसके स्वयं के खाते की है जबकि 938 संयुक्त खाते है। प्रतिवादी नं0 3 व 4 प्रकरण मे फोरमल पक्षकार है। प्रतिवादी नं0 5 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। वादी की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा अवैध कब्जा करने से कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 2 द्वारा 3 बीघा भूमि पर अतिचार किया है अतः नुकसान दिलाया जावे। दिनांक 23.06.2002 को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी भी कराई गई है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जावे। अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस मे बताया कि दावा गलत तथ्यों पर आधारित है। वादी द्वारा स्वय की साक्ष्य के अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। स्थायी निषेधाज्ञा/आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया गया है। जबकि कब्जेयाबी का दावा पेश होना चाहिये था। कब्जे की मियाद भी 12 वर्ष है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उनके पूर्वजों के समय से काश्त की जा रही है। पत्थरगढ़ी भी वादी द्वारा दिनांक 23.06.2002 को करवाई गई है जिसमे यह कही पर भी नही बताया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगणों का कब्जा हो। बहस पर मनन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के विवाद का निस्तारण हेतु नियत की गई तनकियॉ साक्ष्य एवं राजस्व रेकार्ड के अनुसार निम्न प्रकार से निर्णित की जाती है :–

तनकी नं0 1 को सिद्व करने का जिम्मा सिद्व करने का जिम्मा वादी का था। जिसमे वादग्रस्त आराजी नं0 937, 938 वाके ग्राम बोरड़ा जो वादी व प्रतिवादीगण नं0 3 व 4 के संयुक्त खाते व कब्जे की होकर पूर्व सीमा मे प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा किये गये अतिचार को हटाकर कब्जा प्राप्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण के प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने इस तनकी को सिद्व करने के लिये वादी स्वयं के बयान व दिनांक 23.06.2002 को कराई गई पत्थरगढ़ी का मौकापर्चा की प्रमाणितप्रति की फोटोप्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 की ओर स्वयं के शपथ पत्र व अन्य स्वतंत्र गवाह रामलाल का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया।

वादी ने अपने ब्यान में वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करवाई जिसमें मोके पर पत्थर गाडे गये जिसे प्रतिवादीगणों द्वारा हटा दिये गये। जिरह में वादी ने बताया कि उसको खेत के आराजी नं0 याद नही है एक ही चक 20.00बीघा का होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण की ओर से स्वतंत्र गवाह रामलाल पिता मांगीलाल कुम्हार ने बताया कि धन्ना कुम्हार के खेत

सहायक कलेक्टर

के पास मेरा खेत है। 40–45 साल से मै इनके पडोस में खेती करता चला आ रहा हूँ।

मैने उक्त तनकी नं0 1 के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादग्रस्त आराजी नं0 937 व 938 पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने अवैध कब्जा करने एवं पुनः कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो जो किसी प्रकार का साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। मोखिक साक्ष्य वादी ने स्वयं की करवाई है। पत्थरगढी दिनांक 23–06–2002 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई जो साक्ष्य हेतु ग्राह्य नही है किन्तु उसके अवलोकन से भी यह कही भी जाहिर नही होता है कि विवादग्रस्त आराजी के किस दिशा एवं कितने भू–भाग पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हो जिसे वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी हो व प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हो। इस प्रकार उक्त तनकी को वादी पूर्णतः सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है।

चूँकि विवाद के निस्तारण की मूल तनकी नं0 1 है जो वादी द्वारा अपने वादपत्र के जरिये दाद चाही गई को सिद्ध करनी थी जिसमें वो असफल रहा है अतः शेष तनकी नं0 2 व 3 जो प्रतिवादी को सिद्ध करनी है, किन्तु इस प्रकरण में अब उक्त तनकी नं0 2 व 3 के निर्णय की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सिद्ध करने में असफल रहने से अस्वीकार किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

ईजलास श्री के० आर० खोड़, RAS

श्री महावीर s/o बालूलाल निवासी बोरडा बावड़ियान तहसील - शाहपुरा -वादी बनाम श्री लादू [illegible] निवासी बोरडा बावड़ियान तह० शाहपुरा 3 [illegible] 4 [illegible] 5 तहसीलदार शाहपुरा -प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA

मुकदमा नम्बर 178 सन् 02 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व [illegible] मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA [illegible] निरस्त [illegible] प्रतिवादीगण के [illegible] रखते हुए [illegible] किया जाता है

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

बसबुत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 24 माह 5 सन् 17

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)